

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

मिसल नम्बर  
24/2025 प्रा.पत्र/2025

तारीख दायरा  
19.03.2025

आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
27.06.2025

सुरेश कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक हाल कार्यालय खाद्य सुरक्षा व  
औषधि नियंत्रण सीकर राज0

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री सूरज साहू पुत्र श्री बजरंग लाल साहू निवासी दूदू रोड बस स्टैण्ड पचेवर तह.मालपुरा  
जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू किराणा स्टोर दूदू रोड बस स्टैण्ड पचेवर तह. मालपुरा  
जिला टोंक राज0। पिनकोड-304502 मोबाईल नं0 8239169461
- 2-मैसर्स साहू किराणा स्टोर दूदू रोड बस स्टैण्ड पचेवर तह. मालपुरा जिला टोंक राज0।  
पिनकोड-304502

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)  
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री रोमेन्द्र गूर्जर उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 27/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 15.10.2024 को समय 01:00 पी.एम. पर मैसर्स साहू किराणा स्टोर दूदू रोड बस  
स्टैण्ड पचेवर तह.मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की  
हैसियत से सूरज साहू पुत्र श्री बजरंग लाल साहू अपने प्रतिष्ठान मैसर्स साहू किराणा स्टोर  
दूदू रोड बस स्टैण्ड पचेवर तह.मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य  
खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सूरज साहू पुत्र श्री बजरंग लाल साहू  
को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सूरज साहू पुत्र श्री बजरंग लाल  
साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य  
अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगने पर ऑनलाईन आवेदन करना बताया एवं बाद में आवेदक के  
कार्यालय में प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि  
आम जंगता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी व मसालों के साथ-साथ दुकान में  
कागज के 2 कार्टून में 48 मूल पैक बोतल पैकड अवस्था में प्रत्येक 500-500 एमएल पैक  
कच्ची घाणी सरसों तेल(यूनिप्योर ब्रण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक



NL

विधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री सूरज साहू पुत्र श्री बजरंग लाल साहू को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कथ करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सूरज साहू पुत्र श्री बजरंग लाल साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि कच्ची घाणी सरसों तेल(यूनिप्योर ब्रण्ड) जिसके बैच नम्बर 62 एवं पैकिंग की दिनांक अक्टूबर- 2024 थी, मूंगफली तेल कच्ची घाणी सरसों तेल(यूनिप्योर ब्रण्ड) में से 500-500 एम.एल. पैक 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच कथ किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल (यूनिप्योर ब्रण्ड) 4 मूल पैक प्रत्येक 500-500 एमएल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज से लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4092 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4092 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता सूरज साहू पुत्र श्री बजरंग लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू किराणा स्टोर दूदू रोड बस स्टैण्ड जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी उक्त खाद्य पदार्थ का कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1467 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/4167/एक्ट/2024/4136



*Adl*  
जातेरेक्ट जिला खाद्य सुरक्षा

दिनांक 28.10.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया कच्ची घाणी सरसों तेल (यूनिप्योर ब्रण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित हुए। अभिभाषक ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कच्ची घाणी सरसों तेल(यूनिप्योर ब्रण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया कच्ची घाणी सरसों तेल (यूनिप्योर ब्रण्ड) का नमूना जांच में अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन सोकरिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट